प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– मा0शि0क0/जे0एस0वाई0/दिशा–निर्देश/2014–15/9375-75 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के वित्तीय वर्ष 2014–15 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–जी0आई0 136/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667/5–9–08–9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन "जननी सुरक्षा योजना" संचालित की जा रही है।

"जननी सुरक्षा योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गयी शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। इसके अन्तर्गत सभी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों यथा–उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ.आर.यू.) /जिला एवं राज्य स्तरीय समस्त चिकित्सालय/सरकारी एवं केन्द्रीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों यथा–रेलवे चिकित्सालय, पुलिस चिकित्सालय, सेना के चिकित्सालय, ई0एस0आई0 चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है।

1. जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित नवीन शासनादेश एवं उनका क्रियान्वयन–

1.1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधन हेतु शासनादेश– वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधन हेतु शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नवत् हैं–

क्रम सं0	प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	**लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)**	1400.00	1000.00
2	**आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रू0)–**		
	• राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये	300.00	200.00
	• लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप	300.00	200.00
	आशा को दी जाने वाली कुल प्रोत्साहन धनराशि (रू0)–	**600.00**	**400.00**

उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा अपने पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/13–14/934–75 दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये हैं। ज्ञात रहे कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह संशोधन प्रदेश में गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व देखभाल के माध्यम से विस्तृत मातृ–मृत्यु व नवजात मृत्यु दर को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से किया गया है किन्तु इसकी अकेली जिम्मेदारी आशा की ही नहीं मानी जानी चाहिये। इस गतिविधि के सकारात्मक परिणामों के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर व आउटरीच सत्र में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक गर्भवती की प्रसव पूर्व जाँचें सुनिश्चित की जाएं। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05

दिनांक 15 मई 2013 के अनुपालन में उपर्युक्तानुसार सभी व्यवस्थायें लागू कर आशाओं के संशोधित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि व्यवस्थाओं के अभाव में आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

1.2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को घरेलू प्रसव होने पर आर्थिक सहायता हेतु देय धनराशि में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–176/5–9–07–9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पाँच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली **सभी आयु वर्ग** की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर **प्रत्येक बच्चे के जन्म** पर प्रति प्रसव रू0– 500/– की आर्थिक सहायता अनुमन्य किया गया है जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 373/पाँच–9–2014–9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

1.3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी शासनादेश– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का भुगतान नगद या बियरर चेक के माध्यम से न करके एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–3009/पाँच–9–2013–9 (113) 05 दिनांक 17 दिसम्बर 2013 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न किये जाने को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक और/अथवा बैंक खाते का विवरण एम0सी0टी0एस0 डेटाबेस में पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान दर्ज कर लिये जाने का प्राविधान किया गया है। यदि गर्भवती महिलाओं का आधार क्रमांक और/अथवा बैंक खाता विवरण एम0सी0टी0एस0 डेटाबेस पंजीकरण अथवा एन्टीनेटल चेकअप के समय उपलब्ध न हो तो उन्हें ए0एन0एम0 व आशाओं के माध्यम से आधार क्रमांक के अन्तर्गत तत्काल पंजीयन कराने और बैंक खाता खुलवाने का परामर्श दिया जाना है। यदि कोई गर्भवती महिला एन्टीनेटल चेकअप के लिए पहले से न आये और सीधे प्रसव के समय केन्द्र पर आये और उसके नाम से कोई बैंक खाता या आधार क्रमांक न हो तो उसे बैंक खाता खुलवाने हेतु यथा सम्भव पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में लाभार्थियों का भुगतान प्रसव केन्द्र से डिस्चार्ज के समय एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, भले ही लाभार्थी का बैंक खाता खुला हो अथवा न खुला हो। ऐसा न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

इस सम्बन्ध में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को आरम्भ की गयी "प्रधानमंत्री जन–धन योजना" का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जिसके अन्तर्गत सभी नागरिकों का बैंक बचत खाता खोला जाना है। यह अवसर है कि प्रदेश के प्रत्येक गाँव के सम्भावित लाभार्थियों के बैंक बचत खाते आशा कार्यकर्त्रियों के सहयोग से खुलवाने की कार्यवाही की जाये।

वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से बिजनेस कॉरॉस्पोण्डेण्ट (बी0सी0) योजना का आरम्भ किया गया है एवं सभी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में इस नेटवर्क में कार्यरत कर्मचारियों के नाम व फोन नम्बर भी वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 द्वारा जनपदों को प्रेषित कर दिये गये हैं। सभी ए0एन0एम0 व आशाओं को उनके क्षेत्र के बी0सी0 के फोन नम्बर उपलब्ध करा दें एवं स्पष्ट निर्देश दे दें कि वे अपने क्षेत्र के बी0सी0 से सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने हेतु सम्पर्क कर लें।

2. **मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–**राज्य स्तर पर विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 20–25 प्रतिशत संस्थागत प्रसव प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में हो रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–3667/ 5–9–08–9(113)/05 चिकित्सा अनुभाग–9, दिनांक 05.03.2008

के द्वारा प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा विभाग का उद्देश्य संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना है अतः प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय प्रति तहसील को चिन्हित कर शीघ्र मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही आरम्भ करें।

ध्यान रहे कि प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर केवल बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं (लाभार्थी) को भुगतान अनुमन्य है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर प्रति प्रसव रू0–1500.00 की दर से भुगतान निजी नर्सिंग होम को देय है, जो लाभार्थी/आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त है।

वर्तमान में प्राइवेट नर्सिग होम के एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी व सरलीकृत करने हेतु एक वेब–साईट लिंक विकसित किया गया है जिसमें **"Application with Self Assessment Form A"-** निजी चिकित्सालयों द्वारा भरा जायेगा जो कि ऑनलाइन है तथा एप्लीकेशन के साथ ही संलग्न रहेगा।

2.1. **Form A** को ही जिला स्तरीय निरीक्षण दल वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिन्ट कर लेगा एवं चिकित्सालय का भ्रमण कर प्रत्येक विवरण का भौतिक सत्यापन करेगा।

2.2. यह निरीक्षण दल एक संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न प्रारूप पर हस्ताक्षर कर प्रत्येक दशा में एप्लीकेशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा करेगा।

2.3. यदि प्रकरणगत चिकित्सालय में कमी पायी जायेगी तो कारण सहित वेबसाइट पर अंकित करेगा एवं अगले निरीक्षण की तिथि भी अंकित करेगा।

2.4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं निजी सेवा प्रदाता के मध्य होने वाले **अनुबन्ध का नमूना पत्र** भी वेब–साईट पर उपलब्ध रहेगा जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। **(pdf file)**

2.5. इसके अतिरिक्त एक **Dash board indicator** को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर **"Self Assessment Form A"** - से लिंक करना होगा जिससे जनपदवार मासिक सारांश प्रत्येक माह प्राप्त हो सकेगा।

इस वेब–साईट के क्रियाशील होने पर सभी जनपदों को पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0/महानिदेशालय स्तर से प्रेषित किये जायेंगे।

3. **प्रदेश के 06 जनपदों में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी भुगतानों को आधार कार्ड से जोड़े जाने की व्यवस्था–** जननी सुरक्षा योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजना से सम्बद्ध किये जाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 06 जनपदों (**श्रावस्ती, रायबरेली, इटावा, अमेठी, चित्रकूट एवं संतकबीरनगर**) को चयनित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, जनगणना विभाग एवं एस0पी0एम0यू0–एन0आर0एच0एम0 के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 07.06.2013 को राज्य स्तर पर आपके जनपद के जननी सुरक्षा योजना के प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उन्मुखीकरण किया गया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0वाई0आ0कार्ड./8–7/2013–14/1398–6 दिनांक–02.07.2013 द्वारा इस वर्ष दिनांक 01 अक्टूबर 2013 से चयनित जनपदों में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) के माध्यम से आरम्भ किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

4. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की मान्यता–** यह हर्ष का विषय है कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012–13 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2,12,000 अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुये हैं। किन्तु ग्रामीण अँचलों में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी भवनों में स्थापित कुल उपकेन्द्रों के न्यूनतम 50 प्रतिशत उपकेन्द्रों को मान्यता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य के लिये ऐसे सभी उपकेन्द्र जहां की ए0एन0एम0 प्रसव कराने में कुशल हों एवं ऐसे उपकेन्द्र जहां पर पूर्व से प्रसव हो रहे हों किन्तु एक्रेडिटेशन न होने की वजह से प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिल पा रहा हो, उन्हें प्राथमिकता पर चिन्हित कर

उपकेन्द्र स्तर पर उपलब्ध धनराशि से मानक पूरे कराकर शीघ्रातिशीघ्र एक्रेडिट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लें जिससे उनके मानक पूरे हो जायें और उन केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ आरम्भ किया जा सके।

अपने जनपद में अधिक से अधिक उपकेन्द्रों को जननी सुरक्षा योजना के लिये अधिकृत एवं क्रियाशील किये जाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके सहयोगियों का है। ऐसे आशा क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जाना चाहिए जहाँ 20 प्रतिशत से कम प्रसव संस्थागत हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों के उपकेन्द्रों की ए0एन0एम0 का प्राथमिकता पर एस0बी0ए0 प्रशिक्षण करा दिया जाये। इस वर्ष इन क्षेत्रों में एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 को संस्थागत प्रसव कराने अथवा घरेलू सुरक्षित प्रसव कराने के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि प्राविधानित है, जिसका विवरण सम्बन्धित अध्याय में उपलब्ध है।

5. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट–** "जननी सुरक्षा योजना" एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है जिसके लिये जनपदों पर धनराशि की उपलब्धता अति आवश्यक है। एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–7/708–75 दिनांक 23.05.2014 के माध्यम से जनपद स्तर पर उपलब्ध आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल खाते की अनस्पेण्ट/अनकमिटेड धनराशि से इस योजना के निरन्तर संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में जिला कार्ययोजना में जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिये कुल 26,69,403 लाभार्थियों के लक्ष्य का अनुमोदन किया गया है। **जनपदवार लक्ष्य एवं कुल अनुमोदित धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या–ए.1.3 के अन्तर्गत संलग्नक–1 पर उपलब्ध है।** इसके सापेक्ष जनपदों को 75 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। शेष धनराशि जनपदो की प्रगति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम त्रैमास में अवमुक्त की जायेगी।

6. **जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यय–**

6.1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुश्रवण, रिपोर्टिंग, आई0ई0सी0, योजना के सुचारू क्रियान्वयन, वेबसाइट एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु अनुमन्य है।

6.2. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तर पर एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों के प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार सर्वसहमति से प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के उपयोग का उपर्युक्त तालिका में दिए गए मदों के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करेंगे जिस पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय करेंगे।

6.3. इस धनराशि का उपयोग सभी प्रसव इकाइयों पर कार्यक्रम के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा।

6.4. सुरक्षा कर्मी जनपद की परिस्थितियों के दृष्टिगत अति आवश्यक इकाइयों पर ही दिये जायें। मानव संसाधन एजेन्सी के माध्यम से अथवा श्रम नीति के अन्तर्गत ही रखे जायें।

6.5. प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से निम्न कार्य किए जा सकते हैं –

क्रम सं0	प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ
1	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर प्रसव कक्ष/जे0एस0वाई0 वार्ड की सफाई व्यवस्था
2	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग हेतु पर कम्प्यूटर कर्मी की औचित्यपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था
3	जिला महिला चिकित्सालय पर सिक्योरिटी की औचित्यपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था
4	सभी स्तरों पर जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था

5	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों एवं मेडिकल कॉलेज पर सौन्दर्यीकरण/पोस्टर, जे0एस0वाई0 एवं जे0एस0एस0के0 हेतु फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था
6	सभी प्रसव इकाइयों पर जे0एस0वाई0 एवं जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन, पोस्टर व सौन्दर्यीकरण व्यवस्था

7. **प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग हेतु 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था–** वर्ष 2014–15 के लिए जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग, मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग में सहयोग हेतु पृथक से 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था हेतु रू0–10000.00 प्रतिमाह की दर से रू0–1,20,000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। **यह धनराशि जनपदों के लिये अवमुक्त 4 प्रतिशत प्रशासनिक मद से पृथक है एवं राज्य स्तरीय जे0एस0वाई प्रशासनिक मद से प्रदान की जा रही है।** मुख्य चिकित्सा अधिकारी कृपया यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग को आबंटित कर उन्हें जानकारी दे दें।

8. **अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंगः–**

8.1. जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। समिति द्वारा इसके लिए जिला स्तर पर एक जिला नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

8.2. जनपद स्तर पर लाभार्थियों एवं आशाओं के लम्बित भुगतानों का साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाय, इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय। अधोप्रगति वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर शिथिल कर्मियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

8.3. प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रसव इकाईयों तक जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश अवश्य पहुँचा दें, व तुलनात्मक प्रगति पर विस्तृत चर्चा कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8.4. आशाओं द्वारा गत 03 वर्षों में लायी जा रहे संस्थागत प्रसवों की तुलनात्मक प्रगति के आधार पर आशाओं को चेतावनी जारी करें एवं उनके कार्यो की समीक्षा ब्लाकवार कर प्रशासनिक/दण्डात्मक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट वी0एच0एस0एन0सी0 को भी प्रेषित करें।

8.5. राज्य स्तर पर क्रियाशील जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट **www.jsyup.org** पर नियमित रूप से जनपदों को निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी के नाम, पता, सम्पर्क नम्बर, धनराशि के भुगतान का विवरण, आशा एवं ए0एन0एम0 के नाम आदि सहित 7 दिन पूर्व तक हुए समस्त प्रसवों की विस्तृत सूचना उपलब्ध करानी होगी जिसका नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जायेगा।

8.6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उसके अधीन कार्यरत जनपदीय अधिकारी 10 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेगें। इस कार्य में जिलाधिकारी महोदय की सहमति से अन्य विभागों के अधिकारी भी सहयोग कर सकते हैं।

8.7. आगामी माह की 05 तारीख तक जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत माह की भौतिक प्रगति एवं व्यय का मासिक विवरण समस्त अधिकृत प्रारूपों पर अनिवार्य रूप से जे0एस0वाई0 प्रकोष्ठ, परिवार कल्याण महानिदेशालय को (**mchjsy@gmail.com**), तथा वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध करायेंगे।

8.8. छः जनपद (श्रावस्ती, रायबरेली, इटावा, अमेठी, चित्रकूट एवं संतकबीरनगर) जहाँ आधार कार्ड लिंक पेमेन्ट सिस्टम लागू किया गया है, पृथक से भी जे0एस0वाई0 प्रकोष्ठ परिवार कल्याण महानिदेशालय, तथा वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0 को प्रगति की सूचना प्रेषित करेंगे।

9. **जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट/वित्तीय व्यवस्था**

9.1. जनपदों को अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग उपर्युक्त दिशा–निर्देश के अनुसार करना सुनिश्चित करें। संलग्न तालिका में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव, नगरीय

क्षेत्रों के प्रसव, आशा को देय धनराशि, मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन आपरेशन पर निजी नर्सिंग होम को प्रति प्रसव रू0–1500.00 की दर से भुगतान हेतु देय धनराशि तथा प्रशासनिक मद) हेतु अलग–अलग निर्धारित शीर्षवार, मदवार धनराशि की फांट प्रदर्शित है।

9.2. जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाय।

9.3. आशा को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाय। प्रत्येक दशा में लाभार्थियों का भुगतान प्रसव केन्द्र से डिस्चार्ज के समय एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, भले ही लाभार्थी का बैंक खाता खुला हो अथवा न खुला हो। ऐसा न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। इसका नियमित रूप से अनुश्रवण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉकों का भ्रमण कर किया जाये।

9.4. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

9.5. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेनट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9.6. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अतः आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थियों अथवा आशाओं के भुगतान हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

9.7. जनपद स्तर पर आकस्मिकता की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देशों के क्रम में रोगी कल्याण समिति/अनटाइड फण्ड से जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति से धनराशि उधार ली जा सकती है जो बजट प्राप्त होने के पश्चात वापस की जायगी।

9.8. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे, अतः समस्त नियमों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
24/12/14

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रांक–मा0शि0क0/जे0एस0वाई0/दिशा–निर्देश/2014–15/9450-11 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7 समस्त मुख्य चिकित्साअधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिलासंयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8 महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
11 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक
मातृ शिशु कल्याण

संलग्नक - 1

JSY 2014-15 Target Vs Budget release

FMR- Code			Targets for 2014-15					A.1.3.1	A.1.3.2.a	A.1.3.2.b	A.1.3.2.c	A.1.3.4	A.1.3.3		A.1.3.3
S/N	Division	District	Home deliveries	Rural	Urban	C-sections	Incentives to ASHA	Home deliveries @ Rs 500.00	Rural @ Rs 1400.00	Urban @ Rs 1000.00	C-sections @ Rs 1500.00	Incentives to ASHA @ Rs 600.00	4% ADMIN	Funds Approval (75%) of Total for DAP	Budget for Gynae dptt of MCs (From State 1%
1	Agra	Agra	296	41,180	8,336		32,945	1.48	576.52	83.36	0	197.67	34.361	670.043	1.20
2	Agra	Firozabad	200	24,932	5,784		19,944	1	349.048	57.84	0	119.664	21.102	411.491	
3	Agra	Mainpuri	100	18,088	2,008	50	16,279	0.5	253.232	20.08	0.75	97.674	14.889	290.344	
4	Agra	Mathura	50	20,861	1,734		16,689	0.25	292.054	17.34	0	100.134	16.391	319.627	
5	Aligarh	Aligarh	100	37,416	6,604	60	29,932	0.5	523.824	66.04	0.9	179.592	30.834	601.268	1.20
6	Aligarh	Etah	132	15,518	1,414	40	12,414	0.66	217.252	14.14	0.6	74.484	12.285	239.566	
7	Aligarh	Hathras	50	19,541	2,034	50	14,656	0.25	273.574	20.34	0.75	87.936	15.314	298.623	
8	Aligarh	Kasganj	108	17,341	1,727	60	13,872	0.54	242.774	17.27	0.9	83.232	13.789	268.879	
9	Allahabad	Allahabad	445	64,845	7,200	60	51,876	2.225	907.83	72	0.9	311.256	51.768	1009.484	1.20
10	Allahabad	Fatehpur	190	31,708	2,024	20	25,270	0.95	443.912	20.24	0.3	151.62	24.681	481.277	
11	Allahabad	Kaushambi	40	31,660	1,668	20	30,080	0.2	443.24	16.68	0.3	180.48	25.636	499.902	
12	Allahabad	Pratapgarh	200	46,516	2,448	220	37,212	1	651.224	24.48	3.3	223.272	36.131	704.555	
13	Azamgarh	Azamgarh	348	52,724	480	40	44,815	1.74	738.136	4.8	0.6	268.89	40.567	791.050	
14	Azamgarh	Ballia	240	39,912	4,436	40	35,480	1.2	558.768	44.36	0.6	212.88	32.712	637.890	
15	Azamgarh	Mau	166	29,858	1,570	40	23,886	0.83	418.012	15.7	0.6	143.316	23.138	451.197	
16	BAREILLY	BAREILLY	200	36,577	4,521	200	29,262	1	512.078	45.21	3	175.572	29.474	574.751	
17	BAREILLY	Budaun	200	52,904	3,000	50	47,614	1	740.656	30	0.75	285.684	42.324	825.311	
18	BAREILLY	Pilibhit	200	20,487	1,308	20	16,564	1	286.818	13.08	0.3	99.384	16.023	312.454	
19	BAREILLY	Shahjhanpur	100	32,108	3,568	60	27,292	0.5	449.512	35.68	0.9	163.752	26.014	507.269	
20	Basti	Basti	200	42,403	2,232	50	39,422	1	593.642	22.32	0.75	236.532	34.17	666.311	
21	Basti	Sant Kabir Nagar	140	32,964	1,736	600	29,668	0.7	461.496	17.36	9	178.008	26.663	519.920	
22	Basti	Siddharth Nagar	180	38,465	785	40	34,619	0.9	538.51	7.85	0.6	207.714	30.223	589.348	
23	Chitrakoot	Banda	200	32,240	3,582	40	25,792	1	451.36	35.82	0.6	154.752	25.741	501.955	
24	Chitrakoot	Chitrakoot	25	19,706	609		16,750	0.125	275.884	6.09	0	100.5	15.304	298.427	
25	Chitrakoot	Hamirpur	100	19,324	2,147		17,392	0.5	270.536	21.47	0	104.352	15.874	309.549	
26	Chitrakoot	Mahoba	120	13,564	1,340		10,852	0.6	189.896	13.4	0	65.112	10.76	209.826	
27	Faizabad	Ambedkar nagar	250	24,407	2,712		21,966	1.25	341.698	27.12	0	131.796	20.075	391.454	1.20
28	Faizabad	AMETHI	100	34,672	3,852		27,737	0.5	485.408	38.52	0	166.422	27.634	538.863	
29	Faizabad	Barabanki	150	55,840	2,940	40	50,252	0.75	781.76	29.4	0.6	301.512	44.561	868.937	
30	Faizabad	Faizabad	40	35,273	1,856	20	33,509	0.2	493.822	18.56	0.3	201.054	28.557	556.870	
31	Faizabad	SULTANPUR	20	32,165	8,041		28,948	0.1	450.31	80.41	0	173.688	28.18	549.516	

32	Gonda	BAHRAICH	100	55,186	6,132	10	44,148	0.5	772.604	61.32	0.15	264.888	43.978	857.580	
33	Gonda	BALRAMPUR	200	31,160	1,298	60	26,486	1	436.24	12.98	0.9	158.916	24.401	475.828	
34	Gonda	Gonda	300	48,104	1,488	20	40,888	1.5	673.456	14.88	0.3	245.328	37.419	729.662	
35	Gonda	SHRAWASTI	80	31,692	2,096		25,356	0.4	443.688	20.96	0	152.136	24.687	481.403	
36	Gorakhpur	DEORIA	240	46,954	1,956	40	37,563	1.2	657.356	19.56	0.6	225.378	36.164	705.194	
37	Gorakhpur	Gorakhpur	350	57,232	4,977	50	49,219	1.75	801.248	49.77	0.75	295.314	45.953	896.089	1.2
38	Gorakhpur	Kushi Nagar	200	58,028	3,056	60	49,324	1	812.392	30.56	0.9	295.944	45.632	889.821	
39	Gorakhpur	Maharajganj	100	40,942	836	15	39,713	0.5	573.188	8.36	0.225	238.278	32.822	640.030	
40	Jhansi	Jalaun	300	20,516	5,128	100	16,412	1.5	287.224	51.28	1.5	98.472	17.599	343.181	
41	Jhansi	Jhansi	150	23,420	2,895	20	18,736	0.75	327.88	28.95	0.3	112.416	18.812	366.831	1.2
42	Jhansi	Lalitpur	150	24,550	3,034		20,868	0.75	343.7	30.34	0	125.208	20	389.999	
43	Kanpur Nagar	AURAIYA	200	19,820	404		15,856	1	277.48	4.04	0	95.136	15.106	294.572	
44	Kanpur Nagar	Etawah	80	25,092	2,788	50	20,074	0.4	351.288	27.88	0.75	120.444	20.03	390.594	1.2
45	Kanpur Nagar	FARRUKHABAD	220	16,243	5,414	115	12,994	1.1	227.402	54.14	1.725	77.964	14.493	282.618	
46	Kanpur Nagar	Kannauj	70	19,152	3,952		18,000	0.35	268.128	39.52	0	108	16.64	324.479	1.2
47	Kanpur Nagar	KANPUR DEHAT	136	22,913	1,206		20,621	0.68	320.782	12.06	0	123.726	18.29	356.654	
48	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	50	26,605	13,104	50	23,945	0.25	372.47	131.04	0.75	143.67	25.927	505.580	1.2
49	LUCKNOW	HARDOI	30	56,860	2,450	40	45,488	0.15	796.04	24.5	0.6	272.928	43.769	853.490	
50	LUCKNOW	Kheri	300	64,749	1,755	100	59,569	1.5	906.486	17.55	1.5	357.414	51.378	1001.871	
51	LUCKNOW	LUCKNOW	80	25,032	27,165	50	19,012	0.4	350.448	271.65	0.75	114.072	29.493	575.110	1.2
52	LUCKNOW	RAEBARELI	160	37,774	1,988	50	33,996	0.8	528.836	19.88	0.75	203.976	30.17	588.309	
53	LUCKNOW	Sitapur	368	80,903	3,371		72,003	1.84	1132.642	33.71	0	432.018	64.008	1248.164	
54	LUCKNOW	Unnao	60	39,456	3,432	50	33,534	0.3	552.384	34.32	0.75	201.204	31.558	615.387	
55	MEERUT	Baghpat		11,612	1,292	20	9,292	0	162.568	12.92	0.3	55.752	9.262	180.602	
56	MEERUT	Bulandshahar	260	35,125	3,903		31,612	1.3	491.75	39.03	0	189.672	28.87	562.967	
57	MEERUT	GB Nagar	126	6,600	9,110		5,280	0.63	92.4	91.1	0	31.68	8.632	168.332	
58	MEERUT	Ghaziabad	60	7,052	10,576		5,640	0.3	98.728	105.76	0	33.84	9.545	186.130	
59	MEERUT	Hapur	200	6,843	760	49	5,474	1	95.802	7.6	0.735	32.844	5.519	107.625	
60	MEERUT	MEERUT	100	22,464	3,064		20,218	0.5	314.496	30.64	0	121.308	18.678	364.217	1.2
61	Mirzapur	Mirzapur	600	40,048	2,107	20	32,038	3	560.672	21.07	0.3	192.228	31.091	606.271	
62	Mirzapur	Sonbhadra	160	26,388	2,932	40	21,112	0.8	369.432	29.32	0.6	126.672	21.073	410.923	
63	Mirzapur	SRN Bhadohi		23,247	1,224		20,922	0	325.458	12.24	0	125.532	18.529	361.319	
64	Moradabad	Amroha	140	18,320	2,145	40	14,656	0.7	256.48	21.45	0.6	87.936	14.687	286.390	
65	Moradabad	Bijnaur	56	21,864	2,080		17,492	0.28	306.096	20.8	0	104.952	17.285	337.060	
66	Moradabad	Moradabad	536	21,155	4,962	60	18,194	2.68	296.17	49.62	0.9	109.164	18.341	357.656	
67	Moradabad	Rampur	176	17,671	3,077	60	14,137	0.88	247.394	30.77	0.9	84.822	14.591	284.518	
68	Moradabad	Sambhal	51	23,579	1,241	50	22,400	0.255	330.106	12.41	0.75	134.4	19.117	372.779	
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	50	23,597	3,526	40	21,237	0.25	330.358	35.26	0.6	127.422	19.756	385.235	
70	Saharanpur	Saharanpur	300	25,676	4,531		21,237	1.5	359.464	45.31	0	127.422	21.348	416.283	
71	Saharanpur	Shamli	50	8,330	1,420	50	6,664	0.25	116.62	14.2	0.75	39.984	6.872	134.007	

72	Varanasi	chandauli	120	27,896	568	200	26,224	0.6	390.544	5.68	3	157.344	22.287	434.591	
73	Varanasi	Ghazipur	125	47,713	1,484	40	38,172	0.625	667.982	14.84	0.6	229.032	36.523	712.202	
74	Varanasi	Jaunpur	40	55,905	1,729	20	44,724	0.2	782.67	17.29	0.3	268.344	42.752	833.667	
75	Varanasi	Varanasi	200	37,600	5,620	200	33,840	1	526.4	56.2	3	203.04	31.586	615.920	1.2
Total			**12,164**	**2,396,267**	**260,972**	**3,589**	**2,037,359**	**60.820**	**33547.738**	**2609.720**	**53.835**	**12224.154**	**1939.848**	37827.086	**14.40**